बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

कार्य. अध्यक्ष
✷ **सुरेश पासवान**
मो.– 9431468605

महासचिव,
✷ **सुशील कुमार**
मो. – 9431091417, Email : shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव : ✷ राजयनन्द वार्डियार
✷ अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष : ✷ चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष : ✷ विनोद आनन्द

पत्रांक 39

दिनांक 16-9-2016

सेवा में,

माननीय मंत्री,
वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।

विषय :– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को पेट्रोल/डीजल की सुविधा के संदर्भ में।

प्रसंग :– उप सचिव, वित्त विभाग का पत्रांक–6530/वि0 (2) 31.07.2008

महाशय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग का उपरोक्त प्रासांगिक आदेश मे वर्णित है कि ''उप सचिव एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी, जो निजी वाहन से कार्यालय आते है, को चारपाहिया वाहन के लिए 40 लीटर एवं दोपहिया वाहन के लिए 20 लीटर पेट्रोल/ डीजल प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। यह सुविधा प्राप्त होने पर वाहन भत्ता देय नहीं होगा'' (संकल्प की छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त नियम में स्पष्ट है कि सचिवालय एंव संलग्न कार्यालयों/ निदेशालयों में कार्यरत पदाधिकारियों के लिये ये सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निदेशालयों में सामान्य रूप से उप सचिव का पद नहीं होता है। निदेशालय में यह पद उप निदेशक/सहायक निदेशक आदि नामों से जाना जाता है।

संघ को जानकारी मिली है कि वित्त विभाग द्वारा निदेशालयों में उप सचिव के समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों के लिये यह भत्ता अनुमान्य नहीं किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6530 दिनांक 31.07.2008 में उप सचिव एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी जो अपने निजी वाहन से कार्यालय आते है उन्हें ही यह सुविधा अनुमान्य होगी एवं उप सचिव के समकक्ष स्तर से पदाधिकारियों के लिये यह भत्ता अनुमान्य नहीं है।

संकल्प मे यह कही अंकित नहीं है कि उप सचिव के समकक्ष स्तर से पदाधिकारियों के लिये यह भत्ता अनुमान्य नही है।

अतः संघ का अनुरोध है कि वित्त विभाग के दोहरी नीति से संबंधित ऐसे मामालो में एकरूपता बरतते हुये वित्त विभागीय पत्रांक–6530 दिनांक 31.07.2008 से प्रदान किये गये सुविधा का लाभ सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों मे कार्यरत पदाधिकारियों के लिये भी अनुमान्य करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/09/16

(सुशील कुमार)
महासचिव

1287 ~~27~~

संख्या— 4696 —
दिनांक— 4. 8. 08 —
प्र.स. सचिव (व्यय)

4/8

बिहार सरकार
वित विभाग
संकल्प

विषय— सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को व्यावहारिक सुविधाएं उपलबध कराने के संबंध में ।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में कार्यरत पदाधिकारियों को वर्तमान में क्षेत्रिय पदाधिकारियों की तरह व्यावहारिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । इसका प्रभाव उनके प्रोत्साहन एवं कार्यदक्षता पर पड़ता है ।

न्यायिक पदाधिकारियों को शेट्टी आयोग की अनुशांसा पर नाना प्रकार की सुविधायें और भत्ते उपलब्ध कराये गए हैं उदाहरणतः परिवहन भत्ता, स्वागत भत्ता, दूरभाष, बिजली, पानी, वर्दी भत्ता, अतिरिक्त प्रभार भत्ता, समाचार पत्र भत्ता, स्थानातरण अनुदान, घरेलू सहायता भत्ता इत्यादि।

राज्य सरकार ने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं/भत्ते प्रदान करने का निर्णय लिया है :—

9/8/08

1. उपसचिव एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी, जो निजी वाहन से कार्यालय आते है, को चारपहिया वाहन के लिए 40 लीटर एवं दोपहिया वाहन के लिए 20 लीटर पेट्रोल/डीजल प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जायगा । यह सुविधा प्राप्त होने पर वाहन भत्ता देय नही होगा ।

3/

2. अवर सचिव एवं इनसे ऊपर के पदाधिकारियों को कार्यालय से संबंधित आवश्यक कागजात रखने के लिए एक—एक ब्रीफकेश (अधिकतम राशि 1,500/रूपये) एवं सचिव एवं उनसे ऊपर के पदाधिकारियों को एक—एक ब्रीफकेश (अधिकतम राशि 3,000/रूपये) उपलब्ध कराया जायगा ।

3. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित 18,400—500—22,400 रूपये एवं इससे ऊपर के वेतनमान के पदाधिकारियों को (चाहे वे किसी भी सेवा के हो) घरेलू सहायता भत्ता के रूप में 3,000/— रूपये प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत अनुमान्य है, दोनों में से एक विकल्प चुन लेंगे।

4. कांडिका 1 एवं 2 में अंकित सुविधाओं पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के कार्यालय व्यय मद से विकलित होगा । कंडिका—3 में अंकित सुविधा पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के वेतन मद से विकलित होगा । ये सुविधाएं आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी ।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । दिनांक–

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक– 6530 वि(2) दिनांक– 30/7/08

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी सचिवालय कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/7/08
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
उप सचिव, वित्त विभाग ।

287 (27)

4696
4. 8. 08

4/8

बिहार सरकार
वित विभाग
संकल्प

विषय-- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को व्यावहारिक सुविधाएं उपलबध कराने के संबंध में ।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में कार्यरत पदाधिकारियों को वर्तमान में क्षेत्रिय पदाधिकारियों की तरह व्यावहारिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । इसका प्रभाव उनके प्रोत्साहन एवं कार्यदक्षता पर पड़ता है ।

न्यायिक पदाधिकारियों को शेट्टी आयोग की अनुशांसा पर नाना प्रकार की सुविधायें और भत्ते उपलब्ध कराये गए हैं उदाहरणतः परिवहन भत्ता, स्वागत भत्ता, दूरभाष, बिजली, पानी, वर्दी भत्ता, अतिरिक्त प्रभार भत्ता, समचार पत्र भत्ता, स्थानांतरण अनुदान, घरेलू सहायता भत्ता इत्यादि।

राज्य सरकार ने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं/भत्ते प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

18/8/08

1. उपसचिव एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी, जो निजी वाहन से कार्यालय आते हैं, को चारपहिया वाहन के लिए 40 लीटर एवं दोपहिया वाहन के लिए 20 लीटर पेट्रोल/डीजल प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जायगा । यह सुविधा प्राप्त होने पर वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।

2. अवर सचिव एवं इनसे ऊपर के पदाधिकारियों को कार्यालय से संबंधित आवश्यक कागजात रखने के लिए एक-एक ब्रीफकेश (अधिकतम राशि 1,500/रूपये) एवं सचिव एवं उनसे ऊपर के पदाधिकारियों को एक-एक ब्रीफकेश (अधिकतम राशि 3,000/रूपये) उपलब्ध कराया जायगा ।

3. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित 18,400--500--22,400 रूपये एवं इससे ऊपर के वेतनमान के पदाधिकारियों को (चाहे वे किसी भी सेवा के हो) घरेलू सहायता भत्ता के रूप में 3,000/- रूपये प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत अनुमान्य है, दोनों में से एक विकल्प चुन लेंगे।

4. कंडिका 1 एवं 2 में अंकित सुविधाओं पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के कार्यालय व्यय मद से विकलित होगा । कंडिका-3 में अंकित सुविधा पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के वेतन मद से विकलित होगा । ये सुविधाएं आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
उप सचिव, वित्त विभाग ।